



Betul Nagar Palika

NARMADAPURAM Division

Fire Safety Certificate

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

पत्रक क्रमांक/Dispatch Number	पत्रक तिथि / Dispatch Date	अवेदन तिथि / Application Date
RB-2600000355/FNOC/COL/2026/19254	24/08/2026	20/07/2026

अवेदन क्रमांक / Application No.	RB-2600000355	अनुरोध प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC	Fire Safety Certificate Renewal
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy	Educational Building / शैक्षिक भवन	भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building Height (Mtr)	6.0
निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) / Built-up Area (Sq.Mtr)	3717.44	सड़क के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building height From Road level(Mtr)	6.0
भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) / Plot Area (Sq.Mtr)	42480.0		
अवेदक का नाम / Applicant Name	DOMINIC SIMON ST THERESA CONVENT SCHOOL BETUL		
संपत्ति का पता / Property Address	ST THERESA CONVENT SCHOOL, DON BOSCO CAMPUS, SADAR BETUL		

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority

अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है :-

1. अग्नि योजना अनुमोदन में प्रवर्धित बिन्दुओं, NBC 2016 -Part -VI, Table 7 एवं भूमि विकास नियम -2012 के प्रवधान अनुसार स्थल निरीक्षण के दौरान भवन में निम्नानुसार आवश्यक अग्निरक्षण उपकरण स्थापित पाये गये

Manager

St. Theresa's English Medium
Convent School, Betul (M.P.)

Principal

St. Theresa's English Medium
Convent School, Betul (M.P.)



(2026-27) Renewal 2029

Application by Feb 2029

Joint Director, Betul Nagar Palika
Narmadapuram Division, Madhya Pradesh

2. भवन में स्थापित समस्त अग्निरामन उपकरणों का रखरखाव नियमित अंतराल में एवं हमेशा ऑपरेशनल/ चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा, जिसका रिकार्ड विधिवत रखा जाना चाहिए। भवन में कार्यरत/उपलब्ध समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अग्निरामन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।

3. भवन में सम्भावित अग्निदुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण हेतु आपातकालीन योजना बनाना आवश्यक है, जिसमें शामिल समस्त बिन्दुओं जैसे मौक़, फ़्लैट सैफ़्टी ड्रिल, अग्निरामन उपकरणों का संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अग्निदुर्घटना की स्थिति में स्थल में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने/निकलने का अभ्यास नियमित अंतराल में किया जाना आवश्यक होगा।

4. भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु स्थापित स्टैंडबाय एवं सवधान/राइजल/ ख़तमक़मर/स्प्रिंकलर पार्इषों का हार्डवैयर/टेस्टिंग परीक्षण 25 में प्रावधानित नियमों के अन्तर्गत प्रति पांच वर्षों में एक बार करना अनिवार्य होगा।

5. भवन की फ़स्ट एड अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु भवन के अग्निदुर्घटना सम्भावित स्थलों जैसे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, वैनल, स्टोर रूम, रसोई घर एवं कोरीडोर में IS 2190 में प्रावधानित नियमों के अन्तर्गत रखे गये फ़ायर एक्सटिंग्शुअर को निर्धारित अवधि में रखरखाव, टेस्टिंग तथा रिफ़िलिंग का कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

6. भवन में फ़ायर वाहन की बाधा रहित अवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा मार्गदर्शित अनुसार प्रावधानित MOS को हमेशा बाधा रहित रखना अनिवार्य होगा एवं भवन के सभी फ़्लोर एरिया के बाहरी निकालों को हमेशा निर्बाध रूप से खुला रखा जाना आवश्यक होगा।

7. भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रतिवर्ष 30 जून तक फ़ायर सैफ़्टी ऑडिट (जिसमें अग्निरामन उपकरणों की जांच, फ़ायर अलार्म सिस्टम एवं अग्निसुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा आदि शामिल हों) एवं इलेक्ट्रिकल सैफ़्टी ऑडिट (विद्युत उपकरणों/तारों की जांच एवं विद्युत सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा) निर्धारित अवधि एवं प्रयत्न में करना आवश्यक होगा, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

8. भवन में हाउस कीपिंग का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है साथ ही परिसर के अंदर धूम्रपान एवं बिंगारी पैदा करने वाले उपकरण पूर्णतः प्रतिबन्धित होने चाहिये और परिसर को झाड़ियों, सूखी वनस्पतियों एवं ज्वलनशील पदार्थों से मुक्त रखा जाना आवश्यक है।

9. अग्निसुरक्षा संचालन व्यवस्था हेतु भवन की श्रेणी अनुसार प्रशिक्षित अग्निरामन अधिकारी/कर्मचारियों को नियमित रूप से रखना अनिवार्य है एवं नियंत्रण कक्ष में Emergency KLPPE एवं First Aid को निम्नानुसार हर समय उपलब्ध रखना आवश्यक होगा।

10. भवन की अग्निसुरक्षा में कार्यरत कर्मचारियों की तृपुटी निर्धारित किया जाना आवश्यक है, अग्निरामन उपकरणों की प्रेशर टेस्टिंग, हार्डवैयर/टेस्टिंग, फ़ायर पंप का प्रेशर सेटिंग, पानी की उपलब्धता एवं रिफ़िलिंग आदि कार्य का चेकिंग सिस्टम तैयार कर, टेस्ट रिपोर्ट रोज़ाना, सप्ताहिक, महीनेवार एवं वार्षिक का संधारण रजिस्टर में निम्नित रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।

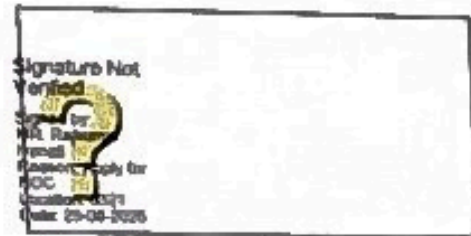
11. अवेदकों/भवन स्वामी को प्रदाय किया जा रहा अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) जारी दिनांक से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। अवधि समाप्त होने के 1 माह पूर्व अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) के नवीनीकरण हेतु enagarpalika.mp.gov.in में विधिवत अवेदन करना होगा।


Manager

St. Theresa's English Medium
Convent School, Betul (M.P.)


Principal

St. Theresa's English Medium
Convent School, Betul (M.P.)



Joint Director, Betul Nagar Palika
Narmadapuram Division, Madhya Pradesh